BROADCAST REGULATION AT CROSSROADS

India's broadcast industry is navigating a regulatory maze where consultations are plenty, but closure is scarce. As authority remains split between the regulator and the ministry, policy reform continues to stall, leaving broadcasters caught in prolonged uncertainty.

For close to a decade, India's broadcasting sector has functioned under a divided regulatory structure that often blurs accountability and delays decision-making. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) positions itself as the sector's economic and consumer-facing regulator, driving consultations and reform proposals. The Ministry of Information & Broadcasting (MIB), however, retains the decisive levers, licensing, policy notification and final rule-making. The overlap has created a system where intent is articulated, but execution frequently stalls.

TRAI has, over the years, produced an expansive body of consultation papers covering advertising limits, tariff structures, licensing reform, audience measurement and platform convergence. These exercises are typically exhaustive, involving months of stakeholder feedback and detailed recommendations. Yet once the process moves beyond the regulator's desk, momentum often slows. Files sit in review, proposals await political sign-off, and the industry is left to operate under interim arrangements that were never designed for today's converged media environment.

The renewed enforcement of the 12-minute advertising cap illustrates this friction sharply. Though the regulation has existed since 2012, it remained loosely enforced for years. TRAI's decision in late 2025 to issue hundreds of show-cause notices brought the rule back into focus overnight, unsettling broadcasters already under pressure from declining linear TV revenues. Legal challenges followed, pushing the issue into the courts. The

ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन चौराहे पर

भारत का प्रसारण उद्योग एक ऐसी रेगुलेटरी चक्रव्यूह में फंसी है, जहां सलाह मशविरा तो बहुत होता है, लेकिन उसको खत्म करना मुश्किल है। चूंकि रेगुलेटर और मंत्रालय के बीच अधिकार बंटे हुए हैं, इसलिए नीति सुधार रूका हुआ है जिससे प्रसारक लंबे समय तक अनिश्चितता में फंसे रहते हैं।

करीब एक दशक से भारत का प्रसारण क्षेत्र एक बंटे हुए रेगुलेटरी संरचना के तहत काम कर रहा है, जो अक्सर जवाबदेही को धुंधला कर देता है और फैसले लेने में देरी करता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) खुद को क्षेत्र का आर्थिक और उपभोक्ता फेंसिंग रेगुलेटर के तौर पर रखता है, जो कंसल्टेशन और सुधा रों के प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के पास लाइसेंसिंग, नीति अधिसूचना और आखिरी नियम बनाने जैसे अहम अधिकार हैं। इस ओवरलैप ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां इरादा तो जाहिर कर दिया जाता है, लेकिन अमल अक्सर रूक जाता है।

ट्राई ने पिछले कुछ सालों में विज्ञापन सीमा, टैरिफ संरचना, लाइसेंसिंग रिफॉर्म, ऑडियंस मेजरमेंट और प्लेटफॉर्म कन्वर्जस को कवर करने वाले कंसल्टेशन पेपर्स का एक बड़ा गुप तैयार किया है। ये अभ्यास आमतौर पर बहुत लंबी होती हैं, जिसमें महीनों तक स्टेकहोल्डर्स का फीडबैक और डिटेल्स रिकमेंडेशन शामिल होते हैं। फिर भी एक बार जब प्रोसेस रेगुलेटर्स के डेस्क से आगे बढ़ जाता है तो अक्सर रफ्तार धीमी हो जाती है। फाइलें रिव्यू में पड़ी रहती हैं, प्रपोजन राजनीति साइन ऑफ का इंतजार करते हैं और उद्योग को ऐसे अंतरिम व्यवस्था के तहत काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है जो आज के कन्वर्ज्ड मीडिया वातावरण के लिए कभी डिजाइन नहीं किये गये थे।

12 मिनट की विज्ञापन सीमा को फिर लागू करना इस टकराव को साफ तौर पर दिखाता है। हालांकि यह रेगुलेशन **2012** से है, लेकिन इसे सालों तक ढ़ीले-ढाले तरीके से लागू किया गया। **2025** के आखिर में ट्राई के सैकड़ों कारण बताओ नोटिस जारी करने के फैसले ने इस नियम को रातो रात फोकस में ला दिया, जिससे प्रसारक परेशान हो गये, जो पहले से ही घटते लीनियर टीवी के राजस्व के दबाव में थे। इसके बाद कानूनी चुनौतियां आयीं, जिससे यह मामला अदालत में चला गया। यह घटना

episode highlights how dormant rules, when revived without broader policy alignment, can destabilise commercial planning across the sector.

A similar sense of incompletion surrounds the proposed National Broadcasting Policy. Conceived as a long-term framework to address convergence between broadcasting, telecom and digital media, the policy process began with high expectations in 2024. TRAI's consultation mapped out issues of competition, licensing and consumer protection in detail. More than a year later, however, the absence of a notified policy has left fundamental questions unanswered, particularly around jurisdiction and regulatory parity between linear and digital platforms.

Licensing reform under the Telecommunications Act, 2023 reflects the same pattern. TRAI's recommendations for a unified authorisation framework were widely welcomed as overdue modernisation. Yet without the necessary rules from MIB, broadcasters, DTH operators and cable networks continue under legacy licences. The delay has been especially costly for the DTH sector, where long-pending proposals on licence fee reduction remain unaddressed even as subscriber numbers decline and financial stress mounts.

Tariff regulation has also moved in cycles rather than towards stability. Since 2019, multiple iterations of the New Tariff Order have reshaped pricing norms, often faster than businesses can adapt. While TRAI has signalled the need for a more comprehensive reset under a future NTO 4.0, the lack of a clear timeline has only extended uncertainty for broadcasters and distributors alike.

Other unresolved issues, from encryption of DD Free Dish to reforms in TV audience measurement, underscore the same structural challenge. Consultations conclude, drafts circulate, but final frameworks remain pending.

Taken together, these examples point to a governance model caught between consultation and closure. TRAI continues to generate reform blueprints, while MIB exercises caution in finalising them. In the absence of clearer timelines and sharper role definition, courts increasingly step in as arbiters.

As media convergence accelerates, the cost of regulatory drift is rising. Without faster alignment between regulator and ministry, India's broadcast industry risks remain■

दिखाती है कि कैसे बिना किसी बड़े पॉलासी अलाइनमेंट के, सुस्त नियमों को फिर से शुरू करने पर, पूरे क्षेत्र में कमर्शियल प्लानिंग अस्थिर हो सकती है।

प्रस्तावित नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के साथ भी कुछ ऐसा अधूरापन महसूस हो रहा है। प्रसारण, टेलीकॉम और डिजिटल मीडिया के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक लंबे समय के फ्रेमवर्क के तौर पर सोची गयी इस नीति की प्रक्रिया **2024** में बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी। ट्राई के कंसल्टेशन में प्रतिस्पर्धा, लाइसेंसिंग और उपभोक्ता सुरक्षा के मुद्दों को विस्तार से बताया गया था। हालांकि, एक साल से ज्यादा समय के बाद भी अधिसूचित नीति की कमी के कारण बुनियादी सवाल बिना जवाब के रह गये हैं, खासकर लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच अधिकार क्षेत्र और रेगुलेटरी बराबरी को लेकर।

टेलीकम्युनिकेशन्स एक्ट **2003** के तहत लाइसेंसिंग सुधार भी इसी पैटर्न को दिखाता है। एक एकीकृत ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क के लिए ट्राई की सिफारिशों का बहुत स्वागत किया गया, क्योंकि यह आधुनिकीकरण समय से पहले हुआ था। फिर भी एमआईवी के जरूरी नियमों के बिना प्रसारक, डीटीएच ऑपरेटर और केबल नेटवर्क पुराने लाइसेंस के तहत ही चल रहे हैं। यह देरी डीटीएच क्षेत्र के लिए खासतौर पर महंगी पड़ी है, जहां लाइसेंस शुल्क में कमी के लंबे समय से लंबित प्रस्तावों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि उपभोक्ता की संख्या घट रही है और वित्तीय तनाव बढ़ रहा है।

टैरिफ रेगुलेशन भी स्थिरता की तरफ जाने के बजाय सइकिल में आगे बढ़ा है। **2019** से न्यू टैरिफ आदेश के कई बार दोहराये जाने से प्राइसिंग के नियमों में बदलाव आया है, जो अक्सर बिजनेस के अपनाये जाने से भी तेजी से हुआ है। हालांकि ट्राई ने भविष्य के एनटीओ **4.0** के तहत एक ज्यादा बड़े रीसेट की जरूरत का संकेत दिया है, एक स्पष्ट टाइमलाइन की कमी ने प्रसारकों और वितरकों दोनों के लिए अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है।

डीडी फ्री डिश के एन्क्रिप्शन से लेकर टीवी दर्शक मापन में सुधार तक, दूसरे अनसुलझे मुद्दे भी इसी संरचना चुनौती को दिखाते हैं। कंसल्टेशन खत्म हो गया है, प्रारूप सर्कुलेट हो गये हैं, लेकिन अंतिम फ्रेमवर्क अभी भी पेंडिंग है।

कुल मिलाकर ये उदाहरण ऐसे गवर्नेंसमॉडल की ओर इशारा करते हैं जो कंसल्टेशन और क्लोजर के बीच फंसा हुआ है। ट्राई लगातार रिफॉर्म ब्लूप्रिंट बना रहा है, जबकि एमआईवी उन्हें फाइनल करने से पहले सावधानी बरत रहा है। साफ टाइमलाइन और रोल की साफ परिभाषा के अभाव में कोर्ट तेजी से आर्बिटर के तौर पर आगे आ रहे हैं।

अब जबकि मीडिया कन्वर्जेंस तेज हो रहा है, रेगुलेटरी बदलाव की लागत बढ़ रही है। रेगुलेटर और मिनिस्ट्री के बीच तेजी से तालमेल के बिना, भारत की प्रसारण इंडस्ट्री के रिस्क बने हुए हैं। ■